कार्यालय नगर पंचायत गौरीबाजार, जनपद–देवरिया

संख्या– 33(XII) / न0पं0गौ0बा0 / 2016–17 दिनांक– 02/08/2016

नीलामी सूचना :–

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पंचायत गौरीबाजार–देवरिया के सीमा अन्तर्गत बस / टैक्सी / टैम्पों स्टैण्ड (पार्किंग शुल्क) की नीलामी वर्ष 2016–17 (दिनांक–16/08/2016 से 31.03.2017) तक के लिये दिनांक– 10.8.16 को 12.00 बजे दिन में अध्यक्ष नगर पंचायत गौरीबाजार–देवरिया के देखरेख मे नगर पंचायत गौरीबाजार–देवरिया के सभागार कक्ष में खुली नीलामी बोली किया जायेगा। यदि उक्त तिथि को किसी कारण वश नीलामी की कार्यवाही सम्पन्न नही होती है तो ऐसी दशा में पूर्व सूचना / शर्तो के ही आधार पर पुनः सार्वजनिक नीलामी खुली बोली की कार्यवाही दिनांक– 12.8.16 को 12.00 बजे दिन में किया जायेगा। नीलामी के पूर्व इच्छुक व्यक्ति मु0–50,000=00 रु0 (पचास हजार रुपया) नगद जमानत धनराशि बोली से पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा। तथा ठेकेदार द्वारा अपना हैसियत प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अद्यतन सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो बोली के पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा तभी बोली में भाग ले सकते है। नीलामी को बिना कारण बतायें निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अध्यक्ष महोदय में निहित होगा। सर्वोच्च बोली वाले ठेकेदार का ठेके की बोली स्वीकार होने पर सम्पूर्ण धनराशि तत्काल जमा करना अनिवार्य होगा। तत्काल जमा न करने की दशा में ठेकेदार का ठेका निरस्त कर जमा जमानत की धनराशि निकाय हित मे जब्त कर ली जायेगी नियम और शर्तो की जानकारी किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय नगर पंचायत गौरीबाजार–देवरिया से जानकारी ज्ञात किया जा सकता है।

नियम व शर्ते निम्नवत् है :–

1– बस / टैक्सी / टैम्पों स्टैण्ड (पार्किंग शुल्क) की नीलामी मे पाबन्दी होगा कि सरकारी गाड़ियों से पार्किंग शुल्क नही वसूला जायेगा।

2– बोली बोलने वाले को सर्वप्रथम जमानत के साथ जिलाधिकारी द्वारा अद्यतन जारी चरित्र प्रमाण पत्र व हैसियत आदि प्रमाण पत्र जमा कराना अनिवार्य होगा।

3– बोली बोलने वाले को बस / टैक्सी / टैम्पों स्टैण्ड के लिये मु0–50,000=00 रुपये जमानत धनराशि के रुप में नगद जमा करना अनिवार्य होगा।

4– बोली निर्णित होने पर सम्बन्धित ठेकेदार को कुल बोली की धनराशि में जमानत की धनराशि समायोजित करते हुये एक मुश्त धनराशि जमा करना अनिवार्य होगा।

5– सर्वोच्च बोली बोलने वाले यदि नीलामी की धनराशि जमा करने में असमर्थ या ठेका लेने से इन्कार करता है तो निकाय हित में जमा धरोहर धनराशि जब्त कर लिया जायेगा। अग्रिम कार्यवाही अध्यक्ष / नीलामी अधिकारी के विवेक पर निर्भर करेगा।

6– नीलामी बिना कारण बतायें स्वीकृत / अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी में सुरक्षित होगा।

7– नीलामी की बोली पारित होने पर तथा सम्पूर्ण धनराशि जमा करने के बाद ही कार्यालय नगर पंचायत गौरीबाजार–देवरिया के द्वारा निर्धारित दर के अनुसार ही वसूली का आदेश निर्गत होगा।

8– नगर पंचायत के किसी भी बकायेदार की बोली मान्य नहीं होगी, और न तो वह बोली बोलने में भाग ले सकते है।

9– बस / टैक्सी / टैम्पों आदि निर्धारित स्थान पर ही खड़ा करना होगा। यह ज़िम्मेदारी सम्बन्धित ठेकेदार की होगी।

10– नीलामी स्वीकृत होने के पश्चात सम्बन्धित ठेकेदार को अपने ही व्यय से नियमानुसार स्टैम्प क्रय करके अनुबन्ध करना अनिवार्य होगा।

11– यदि किन्हीं परिस्थितियों में अधोहस्ताक्षरी द्वारा नीलामी को अस्वीकृत कर दिया जाता है तो ऐसी दशा में कार्यालय आदेश प्राप्त होने पर ठेकेदार को त्वरित वसूली बन्द कर देना होगा। जितने दिन की वसूली ठेकेदार द्वारा किया गया होगा उस दिन तक कुल बोली की औसत की दर से कटौती कर जमा धनराशि से समायोजित कर ली जायेगी।

12– नीलामी समाप्त होने के पश्चात शेष ठेकेदार द्वारा जमा की गयी जमानत की धनराशि को नियमानुसार वापस करने की कार्यवाहीं की जायेगी।

13– गाड़ियों की चेकिंग दैवीय आपदा या अन्य किसी प्रकार से राजकीय आदेशों के तहत यदि आवागमन/ हड़ताल से हुई क्षति के लिये नगर पंचायत जिम्मेदार नहीं होगा, और न तो ठेकेदार को छूट या माफी की सुविधा दी जायेगी।

14– नीलामी बोली के लिये कम से कम तीन व्यक्तियों का बोली में भाग लेना आवश्यक होगा। जो नीलामी की शर्त का पालन करते हों इसके साथ ही नीलामी में कोई भी व्यक्ति अग्नेय शस्त्र लेकर भाग नहीं ले सकता है।

15– टैक्सी स्टैण्ड (पार्किंग शुल्क) का पड़ाव स्थल नवनिर्मित ओवरब्रीज के दक्षिण तरफ प्रारम्भ से एवं नगर पंचायत गौरीबाजार–देवरिया सीमा अन्दर वसूली की स्थल नियत की जाती है।

16– ठेकेदार द्वारा टैक्सी स्टैण्ड (पार्किंग शुल्क) हेतु लगाये गये अपने कर्मचारियो का परिचय पत्र सहित रसीद बुक कार्यालय से सत्यापनोपरान्त निर्धारित दर से वसूली कराना सुनिश्चित करेंगे।

17– बस/टैक्सी/टैम्पों स्टैण्ड (पार्किंग शुल्क) की दर निम्नवत है –

1– बस	100- रुपये
2– टैक्सी/जीप	50- रुपये
3– टैम्पों	20- रुपये

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत गौरीबाजार
देवरिया

अध्यक्ष
नगर पंचायत गौरीबाजार
देवरिया

पत्रांक–संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।

1– जिलाधिकारी महोदय, देवरिया।

2– प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय/अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) देवरिया।

5– उपजिलाधिकारी सदर, देवरिया।

6– समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, देवरिया/गौरा बरहज/नगर पंचायत–रुद्रपुर, सलेमपुर, लार, भाटपार, मझौलीराज, भटनी बाजार, रामपुर कारखाना जनपद–देवरिया।

7– NIC.in Deoria देवरिया पर अपलोड करने हेतु।

8– कार्यालय नगर पंचायत गौरीबाजार–देवरिय के नोटिस बोर्ड पर चश्पा हेतु।

9– सम्पादक विज्ञापन व्यवस्थापक हिन्दी दैनिक समाचार पत्र को इस आशय से प्रेषित कि विज्ञापन अपने समाचार पत्र के अगले अंक में प्रकाशित कर दो समाचार पत्र बिल सहित भुगतान हेतु उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत गौरीबाजार
देवरिया

अध्यक्ष
नगर पंचायत गौरीबाजार
देवरिया